

प्रारूप-3  
(नियम 8 देखें)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र  
एआरटी क्लीनिक (स्तर 1/स्तर 2) एआरटी बैक  
(दो प्रतियों में जारी किया जायेगा)

DN 1021

3-2-2023

प्रमाणपत्र संख्या--MP/NARMADAPURAM/ART Level-2/No-01

1. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 16 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित अधिकारी-जिला सक्षम एरिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सेरोगेसी प्राधिकारी उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित एआरटी क्लीनिक को 26/12/2027 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं।

(a) एआरटी क्लीनिक का नाम और पता-

ANADI-IVF TEST TUBE BABY CENTRE A UNIT  
OF NEW PANDEY HOSPITAL SHANICHARA  
NARMADAPURAM- 461001

(b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)-

PRIVATE

(c) सुविधा का प्रकार स्तर-1/स्तर-2-

ART CLINIC LEVEL-2

निम्नलिखित एआरटी बैक.....X.....को समाप्त होने वाली ..... X.....अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार गतिविधियों और प्रक्रियाओं को करने के प्रयोजन हेतु

(a) एआरटी बैक का नाम और पता - .....X.....

(b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)- .....X.....

2. यह रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम और उसके अधीन नियमों के अधीन प्रदान किया जाता है और इनके किसी भी उल्लंघन का परिणाम, पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन या निरस्तीकरण होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण की संख्या आवंटित कि गई-MP/NARMADAPURAM/ART Level-2/No-01

4. केवल रजिस्ट्रीकरण के नवीकृत प्रमाण पत्र प्रारूप के लिए-  
रजिस्ट्रीकरण के पहले प्रमाण प्रारूप की वैधता की अवधि -03.02.2023 से 02.02.2028 तक

संस्था- नर्मदा  
843582-32-09

जिला सक्षम एरिस्टेड रिप्रोडक्टिव  
टेक्नोलॉजी एवं सेरोगेसी प्राधिकारी  
जिला नर्मदापुरम्

तारीख-03/02/2023

स्थान- नर्मदापुरम्

इस प्रमाण पत्र की एक प्रति व्यवसाय के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।  
जो लागू या आवश्यक न हो उसे काट दें।